रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 485] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 17, 2001/आषाढ़ 26, 1923
No. 485] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 17, 2001/ASADHA 26, 1923

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2001

का. आ. 677(अ).—अल्यूमिनियम फॉसफाइड की प्रत्येक 3 ग्राम की 10 और 20 टैब्लेट्स की अल्यूमिनियम ट्यूब पैक के उत्पादन, विपणन और उपयोग पर पाबंदी लगाने के अपने आशय को घोषित करने की दृष्टि से, एक प्रारूप आदेश कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं0 का0 आ0 683 (अ), तारीख 20 जुलाई, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii)तारीख 20 जुलाई, 2000 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गईं थी, 45 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 जुलाई 2000 को उपलब्ध कराई गईं थी :

उक्त आदेश की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है :

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधि[illegible]968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग [illegible]ए, उक्त प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ [illegible] के [illegible] प्रतिवेदन [illegible] पश्चात् और [illegible] यह [illegible] समाधान [illegible] पर [illegible] यम [illegible] और 20 टैब्लेट्स [illegible] अल्यूमिनियम ट्यूब पैक [illegible] उत्पादन, विपणन और उपयोग से मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है, निम्नलिखित आदेश करती है :

(i) अल्यूमिनियम फॉसफाइड की प्रत्येक 3 ग्राम की 10 और 20 टैब्लेट्स की क्षमता वाले अल्यूमिनियम ट्यूब पैक के उत्पादन, विपणन और उपयोग पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पूर्णतया पाबंदी होगी ;

(ii) राज्य सरकारों को राज्य में इन आदेशों के निष्पादन के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जो उक्त अधिनियम और नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन वे उचित समझें ।

[फा. सं. 17-2/98-पी पी. I]
पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2001

S.O. 677(E).—Whereas a draft Order with a view to declare its intention to ban the production, marketing and use of aluminium tube packs with a capacity of 10 and 20 tablets each of 3 grams of aluminium phosphide was published in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O.683(E), dated the 20th July, 2000 in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 20th July,2000, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th July, 2000;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of said Order, have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government after considering the recommendations of the Expert Group constituted for the said purpose and after consultation with the Registration Committee set up under the said Act, and, on being satisfied that the use of aluminium tube pack containing 10 and 20 tablets each of 3 grams of aluminium phosphide involves health hazards to human beings, hereby makes the following Orders namely:-

(i) The production, marketing and use of aluminium tube packs with a capacity of 10 and 20 tablets of 3 grams each of aluminium phosphide shall be banned completely from the date of publication of this Order;

(ii) The State Governments shall have power to take such steps under the relevant provisions of the Act and Rules as they may deem fit for the execution of these Orders in the State concerned.

[F. No. 17-2/98-PP. I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2001

का. आ. 678(अ).— कार्बोफुरान 50 प्रतिशत जल विलेय चूर्ण के विनिर्माण और उपयोग पर पाबंदी लगाने के अपने आशय को घोषित करने की दृष्टि से, एक प्रारूप आदेश कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं0 का0 आ0 784 (अ), तारीख 30 अगस्त, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 30 अगस्त, 2000 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके [illegible] होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, 45 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 30 अगस्त, 2000 को उपलब्ध कराई गई थीं ;

उक्त आदेश की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करने और उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् और अपना यह और समाधान हो जाने पर कि कार्बोफुरान 50 प्रतिशत जल विलेय चूर्ण के विनिर्माण में मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है, निम्नलिखित आदेश करती है :-

(i) कार्बोफुरान 50 प्रतिशत जल विलेय चूर्ण के विनिर्माण और उपयोग पर, इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पूर्णतया पाबंदी होगी ।

(ii) कार्बोफुरान 50 प्रतिशत जल विलेय चूर्ण के उत्पादन के लिए नई रजिस्ट्रीकरण या विनिर्माण अनुज्ञप्ति पर पाबंदी होगी ;

(iii) कार्बोफुरान 50 प्रतिशत जल विलेय चूर्ण के विभिन्न रजिस्ट्रीकर्ताओं को विनिर्माण एककों को स्थापित किए जाने के लिए जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्तियाँ उन फर्मों या व्यक्तियों की बाबत रद्द कर दिया जाएगा ।

(iv) उन रजिस्ट्रीकर्ताओं की बाबत जिन्होंने कार्बोफुरान 50 प्रतिशत जल विलेय चूर्ण का अभी तक विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की है रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा ;

(v) राज्य सरकारों को राज्य में इन आदेशों के निष्पादन के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जो उक्त अधिनियम और नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन वे उचित समझें ।

[फा. सं. 17-2/98-पी पी. I]

पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2001

S.O. 678(E).— Whereas a draft Order with a view to declare its intention to ban the manufacture and use of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP) was published in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O.784(E), dated the 30th August, 2000 in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 30th August, 2000, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 30th August, 2000;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of said Order, have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government after considering the recommendations of the Expert Group constituted for the said purpose and after consultation with the Registration Committee set up under the said Act, and, on being satisfied that the manufacture and use of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP) involves health hazards to human beings, hereby makes the following Orders namely:-

(i) The manufacture and use of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP) shall be banned completely from the date of publication of this Order;

(ii) There shall be a ban on new registration or manufacturing license for production of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP);

(iii) The manufacturing licenses issued to various registrants of Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP) for setting up of manufacturing units shall be cancelled in respect of those firms or persons;

(iv) The certificate of registration for Carbofuran 50% Water Soluble Powder (SP) in respect of those registrants who are yet to obtain manufacturing licenses shall be cancelled;

(v) The State Governments shall have power to take such steps under the relevant provisions of the Act and Rules as they may deem fit for the execution of these Orders in the State concerned.

[F. No. 17-2/98-PP. I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2001

का. आ. 679(अ).— शुष्क बीज उपचार के लिए कैप्टाफोल80 प्रतिशत चूर्ण के विनिर्माण और उपयोग पर पाबंदी लगाने के अपने आशय को घोषित करने की दृष्टि से, एक प्रारूप आदेश कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं0 का0 आ0 785 (अ), तारीख 30 अगस्त, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii)तारीख 30 अगस्त, 2000 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, 45 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 30 अप्रैल, 2000 को उपलब्ध करवाई गई थी ।

उक्त आदेश की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करने और उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् और अपना यह और समाधान हो जाने पर कि शुष्क बीज उपचार के लिए कैप्टाफोल 80 प्रतिशत चूर्ण के उपयोग से मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए संकट अंतर्वलित है, निम्नलिखित आदेश करती है :-

(i)देश में शुष्क बीज उपचार के लिए कैप्टाफोल 80 प्रतिशत चूर्ण के विनिर्माण पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पूर्णतया पाबंदी होगी ।

(ii)शुष्क बीज उपचार के लिए पहले से विनिर्मित कैप्टाफोल 80 प्रतिशत चूर्ण के उपयोग पर उसकी समाप्ति की तारीख से या इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति, जो भी पहले हो, से पूर्णतया पाबंदी होगी ;

(iii) विनिर्माण केवल निर्यात प्रयोजनों के लिए जारी रखा जाएगा किन्तु वह इस शर्त के अधीन होगा कि यह क्रियाकलाप बंद प्रणाली में किया जाएगा जिससे कि कारखाने के कर्मकारों को उच्छन्न होने से बचाया जा सके ;

(iv)राज्य सरकारों को राज्य में इन आदेशों के निष्पादन के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जो उक्त अधिनियम और नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन वे उचित समझे ।

[फा. सं. 17-2/98-पी पी. I]
पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2001

S.O. 679(E).— Whereas a draft Order with a view to declare its intention to ban the manufacture and use of Captafol 80% powder for dry seed treatment (DS) was published in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O.785(E), dated

the 30th August, 2000 in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 30th August, 2000 inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 30th August, 2000;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of said Order, have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government after considering the recommendations of the Expert Group constituted for the said purpose and after consultation with the Registration Committee set up under the said Act, and, on being satisfied that the use of Captafol 80% powder for dry seed treatment (DS) involves health hazards to human beings hereby makes the following Orders namely:-

(i) The manufacture of Captafol 80% Powder for dry seed treatment (DS) for use in the country shall be completely banned from the date of publication of this Order;

(ii) The use of Captafol 80% powder for dry seed treatment (DS) already manufactured shall be banned completely from the date of its expiry or the period of two years from the date of publication of this Order, whichever is earlier;

(iii) The manufacture shall continue for export purposes only subject to the condition that this activity is handled in a closed system so as to avoid any exposure to factory workers;

(iv) The State Governments shall have power to take such steps under the relevant provisions of the Act and Rules as they may deem fit for the execution of these Orders in the State concerned.

[F. No. 17-2/98-PP. I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2001

का. आ. 680(अ).– फल और सब्जियों पर मिथाइल पैराथियोन के 2 प्रतिशत धूलनीय चूर्ण और 50 प्रतिशत पायसनीय सांद्र विनिर्मितियों के उपयोग पर पाबंदी लगाने, के अपने आशय को घोषित करने की दृष्टि से, एक प्रारूप आदेश कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं0 का0 आ0 786 (अ), तारीख 30 अगस्त, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 30 अगस्त, 2000 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, 45 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 30 अगस्त, 2000 को उपलब्ध कराई गई थी ;

उक्त आदेश की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करने और उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् और अपना यह और समाधान हो जाने पर कि फलों और सब्जियों पर मिथाइल पैराथियोन के 2 प्रतिशत धूलनीय चूर्ण और 50 प्रतिशत पायसनीय सांद्र विनिर्मितियों के उपयोग से मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है, निम्नलिखित आदेश करती है :-

(i) फल और सब्जियों पर मिथाइल पैराथियोन के 2 प्रतिशत धूलनीय चूर्ण और 50 प्रतिशत पायसनीय सांद्र विनिर्मितियों के उपयोग से इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पूर्णतया पाबंदी होगी ।

2226 GI/2001-2

(ii) उत्पादक ट्रेडमार्क के संबंध में जो रजिस्ट्रीकरण समिति को आवेदन के साथ उपदर्शित लेबल और लीफलेट्स प्रदान नहीं करते उनका मिथाइल पैराथियोन के 2 प्रतिशत धूलनीय चूर्ण और 50 प्रतिशत पायसनीय सांद्र का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा ।

(iii) राज्य सरकारों को राज्य मोहर आदेशों के निष्पादन के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जो उक्त अधिनियम और नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन वे उचित समझें ।

[फा. सं. 17-2/98-पी पी. I]
पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2001

S.O. 680(E).— Whereas a draft Order with a view to declare its intention to ban the use of 2% Dusting Powder (DP) and 50% Emulsifiable Concentrate (EC) formulations of Methyl Parathion on fruits and vegetables was published in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) vide the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Cooperation) number S.O.786(E), dated the 30th August, 2000 in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 30th August, 2000, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 30th August, 2000;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of said Order, have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government after considering the recommendations of the Expert Group constituted for the said purpose and after consultation with the Registration Committee set up under the said Act, and, on being satisfied that the use of 2% Dustable Powder (DP) and 50% Emulsifiable Concentrate (EC) formulations of Methyl Parathion on fruits and vegetables involves health hazards to human beings, hereby makes the following Orders namely:-

(i) The use of 2% Dustable Powder (DP) and 50% Emulsifiable Concentrate (EC) formulations of Methyl Parathion on fruits and vegetables shall be banned completely from the date of publication of this Order;

(ii) The Certificate of Registration for 2% Dustable Powder (DP) and 50% Emulsifiable Concentrate (EC) formulations of Methyl Parathion in respect of those registrants who do not provide modified labels or leaflets along with container to Registration Committee shall be cancelled;

(iii) The State Governments shall have power to take such steps under the relevant provisions of the Act and Rules as they may deem fit for the execution of these Orders in the State concerned.

[F. No. 17-2/98-PP. I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2001

का. आ. 681(अ).— देश में आलू और गन्ने के बीज के उपचार के अलावा मिथौक्सि इथाईल मर्करी क्लोराईड के उपयोग पर पाबंदी लगाने के अपने आशय को घोषित करने की दृष्टि से, एक प्रारुप आदेश कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं0 का0 आ0 803 (अ), तारीख 6 सितम्बर, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii)तारीख 6 सितम्बर, 2000 में प्रकाशित किया गया था, जिसमें उन सभी व्यक्तियों

से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थी, 45 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 6 सितम्बर, 2000 को उपलब्ध कराई गई थी ;

उक्त आदेश की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करने और उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् और अपना यह और समाधान हो जाने पर कि आलू और गन्ने के बीज के उपचार के अलावा मिथौक्सि इथाईल मर्करी क्लोराईड के उपयोग से मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है, निम्नलिखित आदेश करती है :-

(i) आलू और गन्ने के बीज के उपचार के अलावा मिथौक्सि इथाईल मर्करी क्लोराईड के उपयोग पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पूर्णतः पाबंदी होगी ।

(ii) इन रजिस्ट्रीकर्ताओं की बाबत जो रजिस्ट्रीकरण समिति को आधान साथ उपातंरित लेबल/लीफलेट उपलब्ध नहीं कराते उनका मिथौक्सि इथाईल मर्करी क्लोराईड के बीज के ड्रैसर के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया जाएगा ;

(iii) राज्य सरकारों को राज्य में इन आदेशों के निष्पादन के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जो उक्त अधिनियम और नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन वे उचित समझे ।

[फा. सं. 17-2/98-पी पी. I]
पी. डी. सुधाकर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2001

S.O.968(E).— Whereas a draft Order with a view to declare its intention to ban the use of Methoxy Ethyl Mercury Chloride (MEMC) except for seed treatment of potato and sugarcane in the country was published in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O.803(E), dated the 6th September, 2000 in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 6th September, 2000, inviting

objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 6th September, 2000;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of said Order, have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government after considering the recommendations of the Expert Group constituted for the said purpose and after consultation with the Registration Committee set up under the said Act, and, on being satisfied that the use of Methoxy Ethyl Mercury Chloride (MEMC) except for seed treatment of potato and sugarcane involves health hazards to human beings, hereby makes the following Orders namely:-

(i) The use of Methoxy Ethyl Mercury Chloride (MEMC) shall be banned completely except for seed treatment of potato and sugarcane from the date of publication of this Order;

(ii) The Certificate of Registration for Methoxy Ethyl Mercury Chloride (MEMC) as seed dresser in respect of those registrants who shall not provide modified labels/leaflets along with container to the Registration Committee shall be cancelled;

(iii) That State Governments shall have power to take such steps under the relevant provisions of the Act and Rules as they may deem fit for the execution of these Orders in the State concerned.

[F. No. 17-2/98-PP. I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2001

का. आ. 682(अ).— एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी) मेलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसी ए) का आयात, विनिर्माण, निर्माण, और उपयोग पर, पाबंदी लगाने के अपने आशय को घोषित करने की दृष्टि से, एक प्रारूप आदेश कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के कृषि मंत्रालय (कृषि और सहकारिता विभाग) की अधिसूचना सं0 का0 आ0 948 (अ), तारीख 20 अक्तूबर, 2000 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 (ii) तारीख 20 अक्तूबर, 2000 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके इससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से जिसको उक्त अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई गई थीं, 45 दिन की अवधि की समाप्ति से पूर्व आक्षेप या सुझाव आमंत्रित किए गए थे ।

उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 20 अक्तूबर, 2000 को उपलब्ध कराई गई थीं ;

उक्त आदेश की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर लिया गया है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर विचार करने और उक्त अधिनियम के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात और अपना यह और समाधान हो जाने पर कि एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मेलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसी ए) के आयात, विनिर्माण, निर्माण और उपयोग में मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए परिसंकट अंतर्वलित है, निम्नलिखित आदेश करती है :-

(i) एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मेलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसी ए) (तकनीकी और निर्माण दोनों) के आयात पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पूर्णतया पाबंदी होगी ।

(ii) एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मेलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसी ए) के तकनीकी उत्पादों के विनिर्माण पर इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से पूर्णतया पाबंदी होगी ;

(iii) एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मैलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसी ए) के निर्माण और निर्माण विनाकलाप के लिए विनिर्माण अनुज्ञप्तियों पर विनिर्माता या आयातकर्ता के पास पहले से उपलब्ध तकनीकी ग्रेड सामग्री की समाप्ति की तारीख से या इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो पूर्णतया पाबंदी होगी ;

(iv) एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मैलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसी ए) का विपणन और उपयोग पर समाप्ति की तारीख से या इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए, जो भी पहले हो पूर्णतया पाबंदी होगी ;

(v) एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मैलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसी ए) के आयात, विनिर्माण या निर्माण के लिए कोई नया रजिस्ट्रीकरण या विनिर्माण अनुज्ञप्ति जारी नहीं की जाएगी ;

(vi) तकनीकी ग्रेड के एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मैलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसी ए) के आयात या विनिर्माण के लिए जारी की गई विनिर्माण अनुज्ञप्ति इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से तुरंत रद्द कर दी जाएगी ;

(vii) ऐसे रजिस्ट्रीकर्ताओं की बाबत जिन्होंने अभी विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं की है, एल्डीकार्ब, क्लोरबेनजाइलेट, डीलड्रिन, एथाइलीन डाइब्रोमाइड (इडीबी), मैलिक हाइड्राजाइड और ट्रिक्लोरो एसिटिक एसिड (टीसी ए) की बाबत रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रमाणपत्र तुरंत रद्द कर दिया जाएगा ;

(viii) राज्य सरकारों को राज्य में इन आदेशों के निष्पादन के लिए ऐसे उपाय करने की शक्ति होगी जो उक्त अधिनियम और नियमों के सुसंगत उपबंधों के अधीन वे उचित समझें ।

[फा. सं. 17-2/98-पी पी. I]

पी. डी. धाकर, संयुक्त सचिव

ORDER

New Delhi, the 17th July, 2001

S.O. 682(E).— Whereas a draft Order with a view to declare its intention to ban the import manufacture, formulation and use of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) was published in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 of the Insecticides Act,

1968 (46 of 1968) under the notification of the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture and Co-operation) number S.O.948(E), dated the 20th October, 2000 in the Gazette of India Extraordinary Part II, Section 3(ii) dated the 20th October, 2000, inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette containing the said notification are made available to the public;

And whereas, copies of the said Gazette were made available to the public on the 20th October, 2000;

And whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of said Order, have been duly considered by the Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 27 read with Section 28 of the Insecticides Act, 1968, the Central Government after considering the recommendations of the Expert Group constituted for the said purpose and after consultation with the Registration Committee set up under the said Act, and, on being satisfied that the import, manufacture, formulation and use of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) involves health hazards to human beings, hereby makes the following Orders namely:-

(i) Import of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) (both technical and formulation) shall be banned completely from the date of publication of this Order;

(ii) Manufacture of technical products of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA)

shall be banned completely from the date of publication of this Order;

(iii) Manufacturing licenses for formulation and formulation activity of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) shall be completely banned from the date of expiry of technical grade material already available with the manufacturer or importer or for a period of two years from the date of publication of this Order, whichever is earlier;

(iv) Marketing and use of formulations of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) shall be banned completely from the date of expiry or the period of two years from the date publication of this Order whichever is earlier.

(v) No new registration or manufacturing license for import, manufacture or formulation of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) shall be issued;

(vi) The manufacturing licenses issued for impot or manufacture of technical grade of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) shall be cancelled immediately from the date of publication of this Order;

(vii) The Certificate of Registration in respect of Aldicarb, Chlorbenzilate, Dieldrin, Ethylene Dibromide (EDB), Maleic Hydrazide and Trichloro Acetic Acid (TCA) in respect of those registrants who are yet to obtain manufacturing license shall be cancelled immediately;

(viii) The State Governments shall have power to take such steps under the relevant provisions of the Act and Rules as they may deem fit for the execution of these Orders in the State concerned.

[F. No. 17-2/98-PP. I]
P. D. SUDHAKAR, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.